उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या : 537/8-3-17-65 विविध/16 टी० सी०

लखनऊ : दिनांक 9 जून, 2017

अधिसूचना

भू-संपदा (विनियिमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के धारा-20 के प्राविधानों के अन्तर्गत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के औपचारिक गठन होने तक अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ऊ०प्र० शासन को दिनांक 1 मई, 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा-अभिहित (designate) किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या : 401/8-3-17-65 विविध/16 टी०सी०, दिनांक 3 मई, 2017 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी विभाग, ऊ०प्र० शासन, जो भी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हों, को दिनांक 1 मई, 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा-अभिहित (designate) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शिव जनम चौधरी

विशेष सचिव